# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 16/538

1. सत्यनारायण
2. दिनेश
3. जगदीश पिसरान स्व0 श्री प्रभूलाल जी ।
4. सुनिता बाई
5. सुमित्रा बाई
6. ममता बाई पुत्रियॉ स्व0 प्रभूलाल
7. सीता बाई विधवा पत्नी स्व0 प्रभू लाल जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

**बनाम**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
2. चौथमल पुत्र भवाना जाति कुम्हार निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बद्रीप्रकाश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 04.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट (मृतक) प्रभूलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी को ग्राम कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजीयात भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 15 के अन्तर्गत साबिक खसरा नम्बर 155 की 07 बीघा 19 बिस्वा भूमि किस्म बारानी राज्य सरकार द्वारा

दिनांक 28.11.1975 को आवंटित की गई थी तब से ही उक्त भूमि वादी के कब्जे में चली आ रही है । दौरोने सेटलमेंट उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 420 रकबा 0.31 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 421 की 0.81 हैक्टर बनाये गये, जिसमें से खसरा नम्बर 420 की रकबा 0.31 हैक्अर भूमि वादी के खाते दर्ज कर दी तथा खसरा नम्बर 421 रकबा 0.81 हैक्टर प्रतिवादी कम 02 चौथमल आत्मज श्री भवाना के खाते में गलत रूप से दर्ज कर दी थी । इस प्रकार वादी की 06 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड से कम करके प्रतिवादी कम 02 के खाते दर्ज कर दी है जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं है । उक्त कम किये रकबे को वादी पुनः अपने खाते में दर्ज कराने का अधिकारी है । सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी की आराजी राजस्व रिकॉर्ड से कम कर देने के बाद तहसील लाडपुरा के कर्मचारी कानूनगो, पटवारी तथा 2–3 अन्य व्यक्ति मौके पर आकर वादी की जमीन को नाप कर वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम कसार की साबिक खसरा नम्बर 155 तथा नये खसरा नम्बर 421 की 0.81 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 21.05.2016 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.05.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी मृतक प्रभू के कायममुकामान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता व पति को दिनांक 27.11.75 को आवंटित की गई थी और आवंटन के समय दखल देने के उपरान्त उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 242 से गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी तब से निरन्तर प्रभूलाल जी का कब्जा चला आ रहा था और उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्टगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखकर बिना तनकीवार निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 20 नियम 05 सीपीसी की पालना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया था । अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास हो जाने से उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी अप्रार्थी कम 02 द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता एवं पति प्रभूलाल को उक्त आराजी खसरा नम्बर 155 की रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम कसार तहसील लाडपुरा दिनांक 27.11. 1975 को आवंटित की गई थी और आवंटन के समय दखल देने के उपरान्त उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 242 से गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी तब से ही निरन्तर प्रभूलाल जी का कब्जा चला आ रहा था और उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्टगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया है जबकि नियमित वाद में साक्ष्य व दस्तावेज के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा के सेटलमेंट के बाद नये खसरा नम्बर 420 और 421 बनाये गये थे । खसरा नम्बर 420 रकबा 0.31 हैक्टर आराजी अपीलान्ट के पिता एवं पति के खाते में दर्ज की गई है और खसरा नम्बर 421 की रकबा 0.81 हैक्टर आराजी प्रतिवादी संख्या 02 के खाते में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज की गई है जबकि कब्जा दोनों पर अपीलान्ट का है । मौका रिपोर्ट दिनांक 31.10.2010 से भी यह तथ्य स्पष्ट है कि 07 बीघा 11 बिस्वा रकबा 1.13 हैक्टर बनता है परन्तु सेटलमेंट ने सिर्फ खसरा नम्बर 420 की प्रभूलाल के खाते में दर्ज की । वादीगण 1.31 हैक्टर अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 20 नियम 05 सीपीसी की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 44, आरबीजे 2013 पेज 163 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । रेस्पोडेन्ट खसरा नम्बर 421 की 0.81 हैक्टर भूमि के खातेदार एवं काबिज काश्त हैं । यह आराजी रेस्पोडेन्ट को आंवटित हुई थी जिस पर अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । रेस्पोडेन्ट को सन् 1975 में ग्राम कसार तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 155 की 10 बीघा आराजी आवंटित हुई थी परन्तु मौके पर आराजी कम होने के कारण दखल कम पर दिया गया और इसके नये खसरा नम्बर 421 रकबा 0.81 हैक्टर कायम किया गया । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.05.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नामान्तरकरण संख्या 244 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसके अनुसार चौथमल प्रतिवादी क्रम 02 को खसरा नम्बर 155 की 10 बीघा आराजी पर गैर खातेदारी दी गई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2035–38 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की गई है जिसके अनुसार चौथमल के गैर खातेदारी में आराजी खसरा नम्बर 155 की 05 बीघा आराजी दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 155 मिन के हाल खसरा नम्बर 421 रकबा 0.81 कायम हुए हैं । नकल जमाबन्दी

भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2038–57 के अनुसार चौथमल पुत्र भवाना के खसरा नम्बर 421 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि गैर खातेदारी में दर्ज है । आवंटन आदेश दिनांक 27.11.1975 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार प्रभूलाल को ग्राम कसार तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी । नकल जमाबन्दी संवत् 2035–38 प्रदर्श– 2 के अनुसार खसरा नम्बर 155 की 07 बीघा 11 बिस्वा आराजी प्रभूलाल के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 3 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 155 मिन के कई हाल खसरा नम्बर बने हैं जो खसरा नम्बर 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425 और 426 हैं इसमें साबिक खसरा नम्बर का क्षेत्रफल अंकित नहीं किया गया है। पत्रावली पर पर्चा लगान की फोटो प्रति भी संलग्न की गई है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2036–39 प्रदर्श– 4 संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 नया खाता संख्या 156 और 01 भी पेश की गई हैं । इनके अलावा पत्रावली पर नक्शा ट्रेस की फोटो प्रतियॉ संलग्न की गई हैं । नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 के अनुसार खसरा नम्बर 421 की रकबा 0.81 हैक्टर भूमि चौथमल के खाते में दर्ज है । पत्रावली पर मौका रिपोर्ट दिनांक 31.12.2010 भी संलग्न है ।

12. पत्रावली पर बयान वादी प्रभूलाल पीडब्ल्यू–1, राजेन्द्र पीडब्ल्यू– 2 कराये गये हैं ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 05 तनकीयात कायम की गई हैं जो पत्रावली में पृष्ठ संख्या 03 में संलग्न की गई हैं और अपीलाधीन निर्णय में प्रत्येक तनकी का दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवेचन नहीं किया है । तनकी नम्बर 02 लगायत 04 को एक साथ निर्णित किया है । सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 की पालना नहीं की गई है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.05.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम तनकीयात पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रत्येक तनकी का विवेचन करते हुए आदेश 20 नियम 05 सीपीसी की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.04.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा